



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 23, 2016/माघ 3, 1937

No. 208]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 23, 2016/MAGHA 3, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2016

का.आ. 232(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नीचे दी गई अधिसूची में यथा उल्लिखित तारीखों की संख्या का. आ. द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया था।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमियों में, सभी विल्लंगमों से मुक्त, उपयोग का अधिकार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित किया था।

और सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दी है कि पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए हरियाणा राज्य में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तहसील रेवाड़ी जिला रेवाड़ी में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, अतः उस भूमि के बारे में, जिसका संक्षिप्त इस विवरण अधिसूचना से संलग्न अनुसूची से विनिर्दिष्ट किया गया है, मार्गाधिकार गतिविधियों को हरियाणा राज्य में समाप्त किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1963 के नियम 4 के स्पष्टीकरण-1 के अधीन अपेक्षानुसार उक्त अनुसूची के स्तंभ 7 में उल्लिखित तारीख को हरियाणा राज्य में मार्गाधिकार गतिविधियों की समाप्ति की तारीख के रूप में घोषित करती है।

अनुसूची

(1)

क्रम सं.	का.आ. सं. एवं दिनांक	ग्राम का नाम	तहसील	जिला	राज्य	प्रचालन की समाप्ति की तारीख
1.	1472(अ) दिनांक 04.06.2013 3106(अ) दिनांक 10.10.2013 3320(अ) दिनांक 07.12.2015	भवाड़ी कमालपुर करनावास गुजरीवास डयोढई	रेवाड़ी	रेवाड़ी	हरियाणा	04.01.2016

[फा. सं. आर-31015/10/2012-ओ आर-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2016

S.O. 232(E).— Whereas, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O numbers and dates as mentioned in the Schedule below issued under Sub-section (i) of Section 6, Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government acquired the Right of User in the said lands specified in the Schedules appended to those notifications;

And Whereas, in exercise of the powers conferred by the sub-section(4) of section 6 of the said act, the central government vested the right of user in the said lands free from all encumbrances in the hindustan petroleum corporation limited;

And Whereas, the competent authority has made a report to the central government that the pipeline for the purpose of transportation of petroleum products from rewari in haryana state to kanpur in uttar pradesh state have been laid in the said lands and hence the operation may be terminated in tehsil rewari of rewari district in the state of haryana in respect of the said lands which in brief are specified in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, as required under explanation-1 of rule 4 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Central Government hereby declare the dates mentioned in Column 7 of the said Schedule as the dates of termination of activities in ROU in the state Haryana;

SCHEDULE

Sl. No.	S.O. No. & Date	Name of Village	Tehsil	District	State	Date for Termination of Operation
1	1472(E) Date 04.06.2013 3106(E) Date 10.10.2013 3320(E) Date 07.12.2015	Bhawari Kamalpur Karnawas Gujariwas Dodhai	Rewari	Rewari	Haryana	04.01.2016

[F. No. R- 31015/10/2012-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.